(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में निर्माण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में अब तक कितनी विदेशी कम्पनियों के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और तत्सम्बन्धी प्रमुख विशेषताएं और शर्तें क्या-क्या हैं ; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी हो जाएगी और इससे किस सीमा तक राष्ट्र की आवश्यकता पूरी हो जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के राज्य क्षेत्र में अनुमोदित और प्रचालनाधीन स्कीमें निम्नलिखित हैं :—

क्र० सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1	2	3
	जल विद्युत	
1.	बाणेसागर–4	
2.	बाणसागर टोन्स	30
	बाणसागर टोन्स	60
	हसदेव बांगो	120
	नर्मदा सागर .	1000
6.	राजघाट (58%) .	22.5
7.	सरदार सरोवर (57%)	684
8.	सरदार सरोवर (57%)	142.5
	ताप विद्युत	
9.	बिरसिंहपुर विस्तार .	420
10.	बिरसिंहपुर यूनिट 1 एवं 2 .	420

उपरोक्त के अलावा, मारिखेड़ा एच ई पी और ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना को भी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से स्वीकृत कर दिया गया है तथा निवेश अनुमोदन के पश्चात् इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाएगा । महेश्वर जल विद्युत परियोजना, जिसे भी सी ई ए द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से स्वीकृत कर दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा एक निजी प्रवर्तक को सौंप दी गई है ।

विन्ध्याचल एस टी पी एस–2 (1000 मे०वा०) का क्रियान्वयनन केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है ।

(ग) अभी तक निजी क्षेत्र में 30,524 मे०वा० की क्षमता अभिवृद्धि हेतु 40 विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए जाने के लिए 40 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें विदेशी निवेश (एनआरआई और संयुक्त उद्यम प्रस्तावों सहित) अन्तर्निहित है । ये समझौता ज्ञापन सामान्य तौर पर प्रवर्तकों को परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करते हैं तथा इन स्वीकृतियों को प्राप्त करने में सम्बन्धित राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों और प्रवर्तकों की देयताओं का निर्धारण करते है ।

(घ) अभी उन परियोजनाओं की संख्या के बारे में नहीं बताया जा सकता जो पूरी होने वाली हैं ।

Selection of promoters for private sector power projects

1190. SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the policy of selecting promoters for power generation in the private sector; and

(b) how many projects can one promoter get?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL): (a) In a recent communication dated 18.1.1995 sent to all the State Governments it has been clarified that all future private power projects should come through the process of competitive bidding.

(b) The policy does not lay down any limit on the number of projects to be awarded to any promoter.

Submission of applications from private sector for power plants

1191. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government have asked the State Governments to forward applications from private parties for setting up of power plants;

(b) when was the communications sent to the State Governments and what was the last date for submitting the recommendations; and

(c) how many State Governments have forwarded such proposals and what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHI PATEL): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

बांधव ताप विद्युत परियोजना

1192. **श्री जगन्नाथ सिंह :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1980 से 1985 के बीच मध्य प्रदेश के गांव परोन्दी, तहसील देवसर, जिला सिधी में बांधव ताप विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि बांधव ताप विद्युत परियोजना की अभी तक नींव नहीं रखी गई है।

(ख) उपर्युक्त स्थल को अभिज्ञात करने में कठिनाई को मद्देनजर रखते हुए परियोजना प्रस्ताव पर, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप कार्रवाई नहीं की जा रही है।

Pending proposals for power projects in Karnataka

1193. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether any power project submitted by Karnataka is pending for clearance with Central Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether these are pending with Central Electricity Authority or with the Ministry of Environment and Forests and for how much duration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI